न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली

पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–192/2024

जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/192

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मोहनलाल पुत्र श्री छोगारामजी, जाति बावरी, निवासी मानपुरा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर जिला जालोर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–05–2016 प्र. सं. 27/2016 मोहनलाल बनाम सरकार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय

उपस्थिति :–

1. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बाराडा विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 30/9/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 27/2016 निर्णय दि. 19.05.2016 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजुद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

3. बहस अपील अपीलाण्ट की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि :–

अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुतकरण पर कोई गौर न कर जल्दबाजी में उक्त निर्णय किया गया हैं, जिससे किया गया आदेश खारिज योग्य है।

अपीलार्थी को रहने के लिए उक्त जमीन के सिवाय कोई भूमि नहीं है तथा अपीलार्थी भूमिहीन एवम् अनुसूचित जाति का हैं। अपीलार्थी का राज्य सरकार द्वारा इन्द्रा आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाया हुआ हैं। अपीलार्थी उक्त भूमि पर 40 वर्षों से उक्त भूमि पर काबिज हैं तथा उक्त भूमि पर अपीलार्थी का पक्का मकान बना हुआ है एवं विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ हैं तथा यह आवादी के बीचोबीच भूमि आई हुई हैं। जो यह भूमि नियमन होने की श्रेणी में आती है। प्रकरण में साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर न्यायहित मे दिया जाना उचित था परन्तु ऐसा अवसर न देकर गलत निर्णय पारित किया हैं, जो किया गया आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य हैं।

उक्त भूमि बारानी दोयम हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर ने अपने निर्णय में उक्त भूमि गैर मुमकिन गौचर बताई हैं। जबकि उक्त भूमि बारानी दोयम जो नियमन श्रेणी हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को पत्रावली को रिमाण्ड किया जाकर गैरसायल को प्रकरण सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायहित में उचित था, परन्तु उनके द्वारा अवसर न देकर जल्दबाजी में उक्त निर्णय पारित किया हैं, जो किया गया आदेश खारिज योग्य है।

अपीलार्थी के उक्त भूमि पर पक्का मकान बना हुआ हैं, यदि उसे बेदखल किया गया तो उसके परिवार के सामने रहने के लिए संकट पैदा हो जायेगा तथा अपीलार्थी के आस पास आबादी भूमि आई हुई है, जहाँ पर लोग मकान बनाकर रह रहे है। अपीलार्थी आबादी भूमि के बीचोबीच निवास कर रहा है। जिस कारण उक्त भूमि को न्यायहित में नियमन किया जाना उचित हैं तथा प्रकरण को रिमाण्ड कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार को लौटाई जाकर साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाकर न्यायहित में आवश्यक हैं।

अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा खसरा परिवर्तन शील की प्रमाणित प्रतियां अपील के पक्ष में पेश कर निवेदन किया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर भी कोई गोर न कर गलत निर्णय पारित किया हैं, जो खारिज योग्य है।

अपीलार्थी को फैसले की जानकारी नही थी दिनांक 24–08–2016 को पटवारी हल्का कवराडा ने बताया कि आपके विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर से फैसला हुआ हैं एवं उसकी अपील खारिज हुई है, तब में अपीलार्थी जालोर गया व दिनांक 25–08–2016 को नकल मांगी जो उसी दिन नकले मिली, तब निर्णय की जानकारी हुई, अतः जानकारी की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश फिर भी धारा 05 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश हैं

अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारिज कर रिमाण्ड फरमाई जावे एवं अन्य आदेश जो अपीलार्थी के पक्ष में हो फरमाई जावे।

5. हमने उपस्थित के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के प्रकरण संख्या

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

27/2016 में अपीलाण्ट द्वारा संवत 2072 में मौजा मानपुरा के खसरा नम्बर 23 कुल रकबा 0.32 हैक्टर में से 0.09 हैक्टर किस्म बारानी दोयम पर अतिक्रमण कर बाडा करने से पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, आहोर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को बाद सुनवाई के दिनांक 06.11.2015 को बेदखली व जुर्माना का आदेश सही पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार सही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर के अपील संख्या 27/2016 निर्णय दिनांक 19.05.2016 बअनवान मोहनलाल बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, आहोर को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

30/9

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)